

पत्रसंख्या- सो०मी०- स०कार्य/2022

दिनांक 21/11/2025

सेवा में,

**पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर**

**अपर पुलिस महानिदेशक,**

**वाराणसी जोन, वाराणसी, उ०प्र०।**

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 20.11.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. करंडा पुलिस टीम द्वारा शातिर गौतम्बकर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व 02 अदद पिकअप वाहन, 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल बरामद मय गोवंश।**

दिनांक 19.11.2025 को अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना करंडा सेकंड मोबाइल दौरान ए गश्त ग्राम मेदनीपुर के पास मौजूद थे कि तेज रफ्तार संदिग्ध 02 पिकअप व 01 मोटरसाइकिल वाहन चोचकपुर जमानिया मार्ग पर चोचकपुर से जमानिया की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध वाहनों का पीछा कर रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन सवारों द्वारा वाहन तेजी से बड़सरा चौकी की तरफ भगाने लगे। सेकंड मोबाइल प्रभारी करंडा द्वारा जरिये दूरभाष प्रभारी निरीक्षक करंडा को सूचना देते हुए संदिग्ध गाड़ियों का पीछा किया गया। बड़सरा बाईपास रोड पर खुद को घिरा देख पिकअप व मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से निशाना लगाकर बदमाशों द्वारा फायर किया जाने लगा, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गयी तो दो बदमाशों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए। जिसे तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपचार हेतु भेजा गया व चार अन्य बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता घायल /गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. अजीत गौड़ उर्फ़ रिंकू S/0 रामाश्रय गौड़ R/o आनापुर सरया ps करन्डा गाजीपुर

उम्र 24 वर्ष (घायल/गिरफ्तार)

2. सर्वजीत गौड़ उर्फ़ बाबू S/0 भोला प्रसाद गौड़ R/o बडामहादेवा विकास भवन ps गोरा बाज़ार कोतवाली गाजीपुर

उम्र 22 वर्ष (गिरफ्तार)

3. आकाश यादव उर्फ़ शाका S/0 गुड्डू यादव R/o मैनपुर ps करन्डा गाजीपुर उम्र 25 वर्ष (गिरफ्तार)
  4. संदीप गौड़ S/0 स्व जुठन गौड़ R/o रद्दीपुर Ps रामपुर माँझा गाजीपुर उम्र 25 वर्ष (घायल/गिरफ्तार)
  5. विजय पाल यादव उर्फ़ आदित्य S/0 राममुरत यादव R/o बड़ीबारी ps सैदपुर गाजीपुर (गिरफ्तार)
  6. दीपचंद पुत्र स्व परशुराम यादव ग्राम मानिकपुर कोटे थाना करन्डा गाजीपुर (गिरफ्तार)
- घायल /गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-**
- अभियुक्त अजीत गौड़ उर्फ़ रिंकू पुत्र रामाश्रय गौड़ निवासी आनापुर सरया थाना करण्डा जनपद गाजीपुर**
1. मु0आ0सं0 633/2021 धारा 3/5A/8,5,5,5 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
  2. मु0आ0सं0 384/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
- अभियुक्त संदीप गौड़ पुत्र स्व जुठन गौड़ निवासी रद्दीपुर थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर**
1. मु0आ0सं0 107/2021 धारा 25,4 आयुध अधिनियम , 1959 थाना कान्द्रा जनपद चंदौली
- बरामदगी-**
1. 02 अदद अवैध तमंचा.315 बोर
  2. 02 अदद जिंदा कारतूस.315 बोर
  3. 02 अदद खोखा कारतूस . 315बोर
  4. 02 अदद पिकअप वाहन
  5. गो वंश 06 राशि
  6. 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल

## **2. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा मु0आ0सं0 259/25 धारा 105,115(2), 352, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.11.2025 को थानाध्यक्ष रमेश कुमार मय हमराह माननीय न्यायालय गाजीपुर मे मौजूद थे कि का0 अशोक निर्मल द्वारा बताया गया कि मु0आ0सं0 259/25 धारा 105,115(2) बीएनएस से सम्बन्धित दो नफर वांछित अभियुक्तगण 01. कृष्णानन्द पुत्र रमायन पासी व 02. रमायन पासी पुत्र स्व0 ज्ञानी पासी, जिनका जिला अस्पताल मे ईलाज चल रहा था, उनको चिकित्सक द्वारा डिस्चार्ज किया जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा जिला अस्पताल गाजीपुर से अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1. कृष्णानन्द पुत्र रमायन पासी ग्राम मुहम्मदपुर उर्फ माधोपुर थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर उम्र करीब 39 वर्ष
2. रमायन पासी पुत्र स्व0 ज्ञानी पासी ग्राम मुहम्मदपुर उर्फ माधोपुर थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर उम्र करीब 65 वर्ष

### **बरामदगी –**

1. आलाकत्तल 2 अदद बास का डण्डा व एक अदद लोहे का राड/रम्मा

### 3. थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा चोरी की एक अदद मोटर साईकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.11.2025 को उ0नि0 श्री अशोक कुमार शुक्त मय हमराहियान द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर उदन्ती नदी शिव मन्दिर के पास से चोरी की एक अदद मोटर साईकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –**

1.प्रदीप उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 दया राम निवासी ग्राम मिर्जापुर छपरा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 34 वर्ष

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 205/2021 धारा 379 भादवि थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर

2. मु0अ0सं0 111/2025 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

3 .मु0अ0सं0 208/25 धारा 317(2) बीएनएस थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

**बरामदगी-**

एक अदद चोरी की मोटर साईकिल लाल व काले रंग की पैशन प्रो

### 4. महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र गाजीपुर का सराहनीय कार्य - आपसी मतभेद की वजह से अलग हुए 03 परिवारों की मध्यस्थता के माध्यम से कराई गई सकुशल विदाई ।

**गिले शिकवे भूल एक-दूजे के हुए 03 दम्पति ।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजीपुर महोदय के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 20.11.2025 को कार्यालय महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र गाजीपुर में पति पत्नी के विवाद से संबंधित कुल 17 प्रकरण को सुना गया जिसमें काफी समय से विवादित चल रहे 03 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठा कर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुला कर सकुशल विदाई करवाई गई । जिसमें 03 प्रकरण में कुशलता के बाद पत्रावली बंद कर दी गई 05 प्रकरण में विधिक सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई शेष प्रकरण में अभी मध्यस्ता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई इन सभी प्रकरण के निस्तारण में काउंसलर कमरुद्दीन, महिला आरक्षी रागिनी चौबे, महिला आरक्षी सबिता, महिला आरक्षी अभिलाषा, महिला आरक्षी सोनाली, महिला आरक्षी संध्या,आरक्षी शिव शंकर यादव,आदि लोग प्रमुख थे।

**पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर**